पत्र संख्या–ए/मु0–44–05/2015........................../

स्पीड पोस्ट/फैक्स

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया।

पटना, दिनांक–..............................2016

विषय :– डुमरिया थाना कांड सं0–30/15 दिनांक–08.05.2015 के मृतक स्व0 संजय यादव की हत्या उग्रवादियों के द्वारा किये जाने के फलस्वरूप उनके आश्रिता पत्नी मोसमात कान्ति देवी को विभागीय संकल्प सं0–8960 दिनांक–30.9.2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत अनुग्रह अनुदान की राशि ₹ 5.00 (पाँच लाख) मात्र के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, गया के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–112/सां0 दिनांक–04.02.2016 के क्रम में आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, गया को आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, गया को वर्त्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, गया को कुल आवंटित राशि।
₹ 6,00,000/– (छः लाख रूपये) मात्र।	₹ 5,00,000/– (पाँच लाख रूपये) मात्र।	₹ 11,00,000/– (ग्यारह लाख रूपये) मात्र।

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि ₹ 5,00,000/– (रूपये पाँच लाख) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मांग संख्या–22 के अन्तर्गत बजट शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम–उप शीर्ष–0004–दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (विपत्र कोड संख्या– N2235602000004) के अन्तर्गत यूनिट कोड–31 02 वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, गया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतकों के आश्रित को समुचित पहचान कर की गई है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, गया होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायगी।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, गया की होगी।

कृ0पृ0उ0

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, गया द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रिता को अनुग्रह–अनुदान/मुआवजा के रुप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, गया का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का व्यय–विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय यानी वित्तीय वर्ष 2015–16 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रुप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, गया द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–............../ **पटना, दिनांक–..............2016**

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–............../ **पटना, दिनांक–..............2016**

स्पीड पोस्ट/फैक्स प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया/वित्त विभाग,बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–............../ **पटना, दिनांक–..............2016**

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1929/ **पटना, दिनांक–26/2/2016**

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.16
सरकार के विशेष सचिव

26/2

27 Suresh Sir Sec-A Allotment